



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49351

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3375 वर्ष 2026

कृष्ण मोहन सिंह (सेवानिवृत्त)

.....याची(गण)

बनाम

भारत संघ और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : दीपक यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए. एस. जी. आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश सिंह ने रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में इस आधार पर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि रिट याची एक सेवानिवृत्त ग्राम सेवक है और वह डाक विभाग से अनुतोष की मांग करता है और इस प्रकार रिट याची को प्रथमतः केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष जाना होगा।
2. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता उक्त स्थिति का खंडन नहीं कर सके।
3. तदनुसार, एल. चंद्रकुमार बनाम भारत संघ, एआईआर 1997 एससी 1125 में प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, ए. टी. अधिनियम (प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम) की धारा 19(v) के अंतर्गत मूल आवेदन दाखिल करते हुए, मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष जाने के लिए रिट याची को खुली छूट प्रदान करते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11 मार्च, 2026

एन. एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।